राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एसपीओ/डीएण्डएम/एफ–1/09/ दिनांक :

M.D. (Marketing)
M/s Indian Drugs & Pharmaceutical ltd.,
IDPL Complex, Delhi Gurgaon Road, Dundahera, Gurgaon-122016 (Haryana)

M.D. (Marketing)
M/s Rajasthan Drugs & Pharmaceutical ltd.,
(A Govt. of India Undertaking) Road No. 12, VKI Area,Jaipur.

M.D. (Marketing)
M/s Bengal Chemicals & Pharmaceuticals ltd.,
Kartarpura Industrial Area, 22 Godam, Jaipur

M.D. (Marketing)
M/s Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri, Pune-411010.

M.D. (Marketing)
M/s Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd.,
CC 299-A, Gole Market, Jawahar Nagar, Jaipur.

विषयः–दवाईयों की सप्लाई समय पर नहीं करने एवं बेच वाइज टेस्ट रिपोर्ट नहीं भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा आपको दिये गये क्रय आदेशों के क्रम मे आपके द्वारा दवाईयों की सप्लाई समय पर नही की जाती तथा बेच वाइज टेस्ट रिपोर्ट भी समय पर नहीं भिजवाई जाती है। इसके लिए संबंधित अधिनस्थ कार्यलय द्वारा आपको बार बार लिखा जा रहा है (प्रतियॉं संलग्न है)।

उल्लेखनीय है कि भेषज एवं औषधि निविदा की शर्त एवं शरायत संख्या–18 में अंकित समयावधि में आपको औषधियों की सप्लाई एवं शर्त संख्या–10 के अनुसार बिल के साथ बेच की टेस्ट रिपोर्ट भिजवाया जाना अनिवार्य है जबकि कयाधिकारियों द्वारा प्रेषित पत्रों की प्रतियों से स्पष्ट होता है कि आप द्वारा अनुमोदित दवा की सप्लाई न तो समय पर की जा रही न ही बिल के साथ बेच वाइज टेस्ट रिपोर्ट भिजवायी जा रही है जो गम्भीर स्थिति है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बकाया क्रय आदेशों की आपूर्ति की जावे एवं बकाया टेस्ट रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे तथा भविष्य में निविदा की शर्ते एवं शरायतों के अनुसार समय पर औषधियों की सप्लाई करें एवं बैच की टेस्ट रिपोर्ट बिल के साथ भिजवायी जावे, अन्यथा आक्षेप होने पर राशि की कटोति/वसूली आप की फर्म से की जावेगी।

Sd/-
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एसपीओ/डीएण्डएम/एफ–1/09/1833-37 दिनांक : 10/6/09
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्साधिकारी/सीएचसी प्रभारी, मेडिकल कॉलेज, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, परिवार कल्याण, मुख्यालय।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर, एनआरएचएम को विभाग की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।

10/6/09

मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव
भण्डार कयण संगठन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।